बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या– 19947/2018 (अनिता कुमारी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 04.01.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बेसिक ग्रेड दन्त चिकित्सक (विज्ञापन संख्या–05/2015) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुक्रमांक – 503116, डॉ॰ अनिता कुमारी का अतिरिक्त परीक्षाफल

विज्ञापन सं॰ 05/2015 के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सक (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल दिनांक 29.09.2018 को प्रकाशित किया गया था।

साक्षात्कार में सम्मिलित एक उम्मीदवार, अनुक्रमांक – 503116 द्वारा अपने साक्षात्कार के दिन अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराया गया था, मात्र अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी थी। फलस्वरूप आयोग द्वारा उन्हें अनुभव के लिए अंक का लाभ नहीं दिया गया था।

परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उक्त उम्मीदवार द्वारा अनुभव के लिए 20 अंक का दावा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या–19947/2018 (अनिता कुमारी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.01.2019 को पारित आदेश में उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये अनुभव के दावा के अनुसार उम्मीदवार को 20 अंक देने का निदेश दिया है। साथ ही माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में अनारक्षित (01) कोटि के सफल एवं अनुशंसित उम्मीदवार की मृत्यु के कारण बताई गई रिक्ति की उपलब्धता की शर्त पर डॉ॰ अनिता कुमारी के परीक्षाफल के प्रकाशन/अनुशंसा का आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में आयोग अनारक्षित (01) कोटि के सफल एवं अनुशंसित उम्मीदवार की मृत्यु के कारण बताई गई रिक्ति की उपलब्धता की शर्त पर अनारक्षित (01) कोटि के पद के विरूद्ध अनुक्रमांक – 503116, डॉ॰ अनिता कुमारी को सफल घोषित करता है।

25.1.19

तिथि: 25 जनवरी, 2019

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना